न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल बिश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 57/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना कालवाड़
   बनाम
   कालूराम यादव पुत्र श्री रामदेव, निवासी ग्राम बोबास, थाना जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)
4. निर्णय दिनांक : 13.08.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना कालवाड, जिला जयपुर शहर(पश्चिम) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 11.04.2006 को श्री चिरन्जीलाल नि0 मय जाप्ता दौराने गश्त साके विहार हाथोज पंहुचे। जहां मुखबिर ने सूचना दी कि एक नीले रंग की जीप नं0 आरजे0–14–2सी–5988 में केरोसीन तेल के चार छोटे ड्रम भरकर ले जा रहा है। पुलिस जाप्ते ने मय गवाहान के जीप किशोरपुरा के रास्ते में जाने लगी जिसको हाथोज कांटे से आगे क़िशोरपुरा के रास्ते में रोका तथा चैक किया तो जीप नं0 आरजे0–14–2सी–5988 में तीन ड्रम प्लास्टिक के 50 लीटर वाले तथा एक प्लास्टिक की ड्रम 20 लीटर वाली रखी हुई थी जिसका ढक्कन खोलकर देखा एवं सूंघा तो केरोसीन तेल की बदबू आ रही थी। चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कालूराम यादव पुत्र रामदेव निवासी ग्राम बोबास, थाना जोबनेर, जयपुर ग्रामीण बताया। चालक को ड्रमों में रखे तेल को ले जाने व परिवहन करने के प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने बाबत कहा तो कोई वैध प्राधिकार पत्र पेश नहीं किया। प्लास्टिक के ड्रम को चेक किया तो काले रंग के ड्रम में 40 लीटर नीला केरोसीन तेल भरा है। 10 लीटर का खाली है तथा दूसरे प्लास्टिक का ड्रम जिसका रंग गुलाबी पीला रंग है उसमें भी केरोसीन तेल की मात्रा 40 लीटर तथा तीसरा ड्रम जिसका रंग हरा है उसमें भी 40 लीटर तेल भरा है। एक छोटा प्लास्टिक का हरे रंग का ड्रम जिसमें 15 लीटर केरोसीन भरा है। इस प्रकार 4 ड्रमों में कुल 135 लीटर केरोसीन भरा है। मौके पर मौजूद चालक कालूराम ने ड्रमों में भरे केरोसीन बाबत कागजात बिल, बिल्टी, रजिस्ट्रेशन आदि पेश नहीं किये। ऐसी स्थिति में मौके से 4 प्लास्टिक ड्रम मय 135 लीटर केरोसीन, 1 खाली ड्रम मय जीप नं0 आरजे0–14–2सी–5988 जब्त किये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द मौका, मालखाना पर्ची व एफ.आई.आर. की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी कालूराम स्वयं उपस्थित। दौराने बहस कालूराम कथन किया कि उसकी गाडी में जबरदस्ती केरोसीन के ड्रम रख दिये। उसका उक्त केरोसीन से कोई लेना देना नहीं है।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 08.08.2025 को रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मौके पर जप्त सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज आज तक पेश नहीं किये। एक प्लास्टिक के ड्रम में 40 लीटर नीला केरोसीन, एक 10 लीटर का खाली ड्रम, एक प्लास्टिक का ड्रम 40 लीटर केरोसीन तथा एक ड्रम 40 लीटर तेल भरा था। एक छोटा प्लास्टिक का ड्रम जिसमें 15 लीटर केरोसीन भरा था। इस प्रकार 4 ड्रमों में कुल 135 लीटर केरोसीन भरा पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त टैंकरों में भरे पदार्थों के बारे कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त पैट्रोलियम पदार्थ को अवैध रुप से खरीदना व बेचना राजस्थान खाद्य व अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन है। ऐसे में 4 प्लास्टिक ड्रम मय 135 लीटर केरोसीन, 1 खाली ड्रम मय जीप नं0 आरजे0–14–2सी–5988 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री का नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति.जिला कलक्टर एवं
अति.जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।